

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक : 3264 / वाद सं0 एल-0087/एस-6/2025,

दिनांक: 4-11-2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री अजय उनियाल आशु, बसन्त एवं अन्य आदि किरसाली ल्हासा रेस्टोरेन्ट के नजदीक सहस्रधारा रोड़ देहरादून, द्वारा उपरोक्त स्थल पर प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 15-20 बीघा क्षेत्रफल में समतलीकरण व ईंटों की सहायता से मार्ग चिन्हीकरण व आशिक रूप से प्लाटों का डिमार्केशन का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद संख्या एल-0087/एस-6/2025 योजित किया गया है। क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.10.2025 को ध्वस्त किया जाना था लेकिन इस तिथि को प्राधिकरण का जे0सी0बी0 मशीन अन्य सेक्टर में ध्वस्तीकरण कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकी। स्थल पर विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या 1751 दिनांक 23.07.2025 का ध्वस्तीकरण आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त अवैध निर्माण दिनांक को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी0अधि0/संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-1 पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र सं0 1205/ विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3- थानाध्यक्ष राजपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5- नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री (जे0सी0बी0) संबंधित सहायक अभि0/अव0 अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6- श्री अजय उनियाल, आशु, बसन्त एवं अन्य आदि किरसाली ल्हासा रेस्टोरेन्ट के नजदीक सहस्रधारा रोड़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण को दिनांक 14.11.2025 को ध्वस्त किया जाना है। विपक्षी नियत तिथि पर स्थल पर उपस्थित रहकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादन करवायें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र सं0 1751 दिनांक 23.07.2025 के अनुसार मान्य होगी।

अजय उनियाल

भवदीय,

पी0अधि0/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,